अनुदान संख्या 21 – रक्षा पेंशन
GRANT No. 21–DEFENCE PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*25,00*	*10,42*	*–14,58*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	13223,75,00	13805,75,00	13799,65,98	–6,09,02
पूरक	Supplementary	582,00,00			

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	1322375.00	1380575.00	1379965.98	–609.02
पु.	R.	58200.00			

(I) "रक्षा" के अंतर्गत बचतें, मार्च, 2007 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained in March, 2007 under "Defence" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "नौसेना - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ" - 31368.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3099.18 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 34467.88

(A) "Navy - Pension and other Retirement Benefits" - the original provision of Rs.31368.70 lakhs was augmented to Rs.34467.88 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3099.18

लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 239.23 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) "वायुसेना - पेंशन और अन्य सेवानिव त्ति हितलाभ'' - 79634.62 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6742.70 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 86377.32 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 359.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें 'एक रैंक एक पेंशन' के संबंध में प्रत्याशा से कम मामलों का संशोधन किए जाने के कारण हुई।

(II) "रक्षा - सेना - छुट्टी नकदीकरण'' के अंतर्गत 2222.84 लाख रु. की बचत (36420.00 लाख रु. के स्वीक त प्रावधान की तुलना में) सेवानिव त्ति के समय बजट अनुमान चरण पर निर्धारित किए गए की अपेक्षा से कम छुट्टी जमा होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3953.94 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "रक्षा - सेना - पेंशन और अन्य सेवानिव त्ति हितलाभ'' के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2040.34 लाख रु. था।

(II) बचतें "वायुसेना - छुट्टी नकदीकरण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 113.18 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 16.50 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 6522.59 लाख रु. के कुल स्वीक त प्रावधान की तुलना में) म त्यु के मामलों की संख्या में व द्धि होने के कारण हुआ।

lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.239.23 lakhs; and

(B) "Air Force - Pension and other Retirement Benefits" - the original provision of Rs.79634.62 lakhs was augmented to Rs.86377.32 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6742.70 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.359.71 lakhs.

Savings under the above two heads were due to revision of less number of cases in respect of 'One Rank One Pension' than anticipated.

(II) Under "Defence - Army - Leave Encashment" - saving of Rs.2222.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36420.00 lakhs) was due to less credit of leave at the time of retirement than assessed at budget estimate stage.

2.(I) The above savings were partly (Rs.3953.94 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under "Defence - Army - Pension and other Retirement Benefits". Actual excess, however, was Rs.2040.34 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under "Air Force - Leave Encashment" - excess of Rs.113.18 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6522.59 lakhs including supplementary grant of Rs.16.50 lakhs obtained in March, 2007) was due to increase in number of death cases.